बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,

7, सरदार पटेल मार्ग–पटना–15

ISO:9001:2015
Reg.no.: RQ91/10828

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/ 69	Dt 19/05/2025	Page No..../...

|| कार्यालय आदेश ||

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के निदेशक पर्षद के परिचालन के माध्यम से Circular Resolution No. 209 में दिये गये निदेश के अनुपालन में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के अन्तर्गत निरूपण एवं गुण नियंत्रण कोषांग (Design & Quality Control) की क्षमता को बढ़ाने तथा प्रभावशाली बनाने हेतु एक कोषांग **"निरूपण एवं गुण नियंत्रण कोषांग"** (Design & Quality Control) का गठन किया जाता है, जो मुख्य अभियन्ता–2 के अन्तर्गत नियंत्रित होगा तथा जिसमें पद एवं शर्त्ते निम्न प्रकार से होगा :–

क्र0सं0		पदनाम	पदों की संख्या	अभियुक्ति
1	**निरूपण कार्य हेतु**	मुख्य अभियन्ता–2/ उप मुख्य अभियन्ता, योजना अंचल	1	असैनिक अभियंत्रण में स्नातक/मास्टर डिग्री/पूर्व में निरूपण कार्यो का अनुभव प्राप्त हो तो विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।
2		कार्यपालक अभियन्ता/ वरीय निरूपण अभियन्ता	4	
3		सहायक अभियन्ता/ निरूपण अभियन्ता	8	
4	**गुण नियंत्रण कार्य हेतु**	वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता (कार्यपालक अभियन्ता)	1	
5		सहायक निदेशक/ गुण नियंत्रण अभियन्ता (सहायक अभियन्ता)	2	
6		सहायक शोध पदाधिकारी/ कनीय अभियन्ता	2	

i. निरूपण कोषांग में ऐसे अभियन्ताओं को पदस्थापन में प्राथिमिकता दी जायेगी जो असैनिक अभियंत्रण से स्नातकोत्तर हो तथा/अथवा निरूपण कार्य में अनुभव हो।

ii. ऐसे अभियन्ताओं जिनकी सेवा कम से कम 10 से 15 वर्षो तक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 में पूरी की हो उन्हें रखने हेतु विभागीय सहमति प्राप्त की जा सकती है। विभाग द्वारा प्रोन्नति दिये जाने की स्थिति में भी इन्हें प्रोन्नति के समकक्ष पद पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 में ही रखे जाने हेतु विभाग की सहमति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही विशेष परिस्थिति में यदि स्थानान्तरण भी किया जाना है तो 25% से अधिक का स्थानान्तरण नहीं किया जाये।

iii. इनकों देश के प्रतिष्ठत प्रोफेशनल डिजाईनर एवं प्रतिष्ठित सरकारी तकनीकी संस्थानों (आई0आई0टी0 जैसे संस्थान) के साथ–साथ Software बनाने वाली Multinational Companies से भी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

iv. इन अभियन्ताओं को आधुनिक तकनीकी ज्ञान/नये–नये Design Software का प्रशिक्षण दिलाने एवं Design Software का क्रय निगम द्वारा किया जाएगा।

v. प्रशिक्षणोपरांत इन अभियन्ताओं द्वारा पुलों का निरूपण किया जाएगा, जिसके लिए प्रोत्साहन राशि, भत्ता के रूप में वेतन के साथ दी जाएगी।

vi. निरूपण कार्य में दक्षता/अनुभवी हो जाने पर भविष्य में निगम द्वारा अन्य विभागों का भी निरूपण कार्य / DPR बनाने का कार्य किया जाएगा, जिससे निगम की आय में वृद्धि होगी।

vii. एक–दो वर्षो के लिए Professional Design Engineer को निगम के निरूपण कोषांग के साथ सबंद्ध करना होगा ताकि निरूपण कार्य में अभियन्ता दक्ष हो सके।

viii. गुण नियंत्रण कोषांग एवं प्रयोगशाला को आधुनिक गुणवत्ता उपकरणों से सृदृढ़ किया जाएगा।

ix. उक्त कोषांग मुख्य अभियन्ता–2, पटना के अधीन कार्यरत होगा एवं वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु सभी प्रकार के प्रस्ताव/आदेश/निदेश पर अनुमोदन पूर्व प्रबन्ध निदेशक के संज्ञान में लाया जाएगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना।

ज्ञापांक–1385/पटना, दिनांक–19/05/2025

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता–2, पटना/ सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता, योजना प्रमंडल, पटना/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार–सह–मुख्य लेखा पदाधिकारी/सचिव (कम्पनी–कार्य)/बेववाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.5.25
प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,पटना।
19.05.2025